प्रेस विज्ञप्ति
17.10.2024

माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), जालंधर ने 14.10.2024 को परगट सिंह पुत्र बुद्ध सिंह, निवासी गांव डौके भैनी, जिला अमृतसर और अमृतपाल सिंह पुत्र मेजर सिंह, निवासी ग्राम महावा, जिला अमृतसर को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया है। यह घोषणा ईडी जालंधर द्वारा सकत्तर सिंह उर्फ लाडी, उनके भाई माखन सिंह और उनके परिवारों के सदस्यों के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत के संबंध में जारी की गई थी।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत पंजाब पुलिस और एनसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि सकत्तर सिंह उर्फ लाडी और माखन अपने विस्तारित परिवारों के अन्य सदस्यों और कुछ सहयोगियों के साथ पूरे पंजाब राज्य में नशीले पदार्थों की खरीद और बिक्री/वितरण में लिप्त थे और उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से नकदी में उत्पन्न अपराध की आय के माध्यम से कई अचल संपत्तियों के साथ-साथ बैंक बैलेंस भी जमा किया है।

डी ने पहले 03.02.2023 को 10 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके बाद ईडी ने 3.91 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों, बैंक बैलेंस और नकदी को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था। इसके अलावा, जांच के दौरान ईडी ने सकत्तर सिंह @लाडी को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच प्रगति पर है।